:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती दीपा गुर्जर, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
फौजदारी अपील संख्या	:	69/2022 (CIS N. 69/2022)
CNR N.	:	RJDG010008812022

दयाराम पिता फुसाराम सहारण उम्र 54 वर्ष निवासी डबली राठान पुलिस थना सदर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। **––अपीलार्थी/अभियुक्त––**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, डूँगरपुर। **––प्रत्यर्थी/अभियोजन––**

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश चावला, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर जिला डूँगरपुर द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–512/2012 (C.I.S.N. 1300/14), सरकार बनाम दयाराम व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 04.08.2022 के विरूद्ध दांडिक नियमित अपील।

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी की ओर से :– श्री संजीव भटनागर व अमोल जैन, अधिवक्तागण।
2. प्रत्यर्थी की ओर से :– श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक।

:: निर्णय :: **दिनांक : 02.06.2026**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम की ओर से यह अपील विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–512/2012 उनवानी सरकार बनाम गुरूमितसिंह व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 04.08.2022 से परिवेदित होकर पेश की गई है जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम को **धारा 19/54 ए** राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर **अपीलार्थी अभियुक्त** को अपराध अंतर्गत **धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में तीन वर्ष के साधारण कारावास व बीस हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास** से दंडित किया है।

2. संक्षेप में अपील उदभूत होने के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2012 को ईद का पर्व होने से एस.एच.ओ. गजेन्द्रसिंह मय जाब्ता कानि. दिग्विजयसिंह 101, रिपुदमनसिंह 275 मय सरकारी जीप RJ 12 C 2180 चालक सुरेन्द्रसिंह 698 के थाने से 7:30 A.M. पर सर्कल हाजा में वास्ते कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी देने हेतु रवाना हुआ कि समय 8:30 A.M. पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर RJ 31 GA 0915 में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरा होकर शराब के कार्टनों पर प्लास्टिक के कट्टे में सेव फल भरे होकर शराब के कार्टनों के ऊपर

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

डाले हुये है जो गुजरात की तरफ जायेगा। नाकाबंदी की जावे तो पकड़ में आ सकता है जिस पर एस.एच.ओ. ने I/C O.P. रतनपुर पुष्पराजसिंह H.C. नंबर 313 के मय जाब्ता चौकी के सामने नाकाबंदी करने व उक्त ट्रक आने पर डिटेन कर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया कि एस.एच.ओ. मय जाब्ता के मौजा कनबा में ड्यूटी कर रहा था कि समय 9:15 A.M. पर एच.सी. पुष्पराजसिंह 313 O.P. रतनपुर ने जरिये V.H.F. बताया कि मुताबिक सूचना उक्त नंबर का ट्रक आया जिसमें चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। ट्रक व चालक एवं अन्य व्यक्ति को डिटेन किया गया है। उक्त सूचना पर एस.एच.ओ. मय जाब्ता जीप के कनबा से रवाना होकर समय 9:45 A.M. पर चौकी रतनपुर के सामने पहुंचा, जहां चौकी के सामने उक्त नंबर का ट्रक खड़ा मिला व पास में O.P. रतनपुर का जाब्ता H.C. पुष्पराजसिंह 313, कानि. नवीनचन्द्र 243, गजराजसिंह 326 उपस्थित मिले व ट्रक चालक तथा एक अन्य व्यक्ति भी पास में खड़े मिले। कार्यवाही मौतबिरान तलब करने पर कचरू पिता रामजी निवासी बरोठी निचली व कालु पिता दीता निवासी बरोठी उपस्थित आये व धारा 47 R.E.ACT का पर्चा मुर्तिब किया गया। मौतबिरानों के रूबरू ट्रक चालक व अन्य व्यक्ति का नाम पता पूछा तो क्रमशः उन्होंने अपने नाम गुरमीतसिंह पिता गुरजानसिंह धारू मजवी निवासी नरूवाना P.S. सदर भटीण्डा (पंजाब) व बलविन्दरसिंह पिता जगदीशसिंह कड़ीयारी मजवी निवासी नरूवाना P.S. सदर भटीण्डा (पंजाब) का होना बताया। ट्रक देखा तो ट्रक पर तिरपाल ढका होकर रस्से से बंधा हुआ पाया जिस पर मौतबिरानों के समक्ष रस्सा खोल कर तिरपाल हटाकर देखा तो ट्रक के अन्दर सफेद प्लास्टिक के कट्टों में से फल भरे हुये पाये। कट्टों को हटाकर देखा तो नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुये नजर आये। ट्रक में भरी शराब मौके पर खाली करना व शराब रखने की जगह नहीं होने से एवं थाना परीसर में मालखाना व आवसीय क्वाटरों में शराब रखने की जगह नहीं होने से ट्रक को चालक से चलवाकर मय मौतबिरान व जाब्ता तथा बलविन्दरसिंह को लेकर चौकी कनबा परीसर में आये व जरिये V.H.F. QST H.M. मालखाना हरनारायण 237 को मय अनुसंधान सामग्री के O.P. कनबा पर तलब किया। H.C. उपस्थित आया। ट्रक में भरी शराब की फोटोग्राफी करायी। मजदूरान को बुलाकर ट्रक को खाली करायी गयी तो ट्रक के पीछे सेव फल के 75 कट्टे खाली करवाये। ट्रक में भरी शराब की गिनती की गई तो D.S.P. ब्लेक व्हिस्की बोतलों के 130 कार्टन कुल 1560 बोतले, डर्बी स्पेशल व्हिस्की बोतलों के 70 कार्टन कुल 840 बोतलें, एरिस्ट्रोकेट व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टन कुल 720 बोतले एवं हेवर्ड 5000 टीन बियर के 290 कार्टन कुल 6960 टीन बीयर भरी होना पायी। उक्त शराब व बियर फोर सेल इन चण्डीगढ़ की होना पायी।

3. आगे उल्लेखित किया है कि ट्रक के केबिन में देखा तो दी न्यु इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ का इंश्योरेंस, नेश्नल परमीट फोर पब्लिक केरीयर, R.C. एवं छायाप्रति इकरारनामा तथा सोनी रोड़लाईंस गुमा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की बिल्टी 600 बैग सेव की पायी गयी जिसमें गुमा से अहमदाबाद (गुजरात) की होना पायी। ट्रक चालक गुरमीत तथा बलविन्दरसिंह से इतनी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व टीन बियर के कुल 550 कार्टन अपने कब्जे में रख परिवहन करने के

सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो कोई कागजात नहीं होना बताया। गुरमीत व बलविन्दर द्वारा इतनी भारी मात्रा में शराब रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 19/54 R.E.ACT के खिलाफ वर्जी करना पाया जाने से कुलीया शराब, ट्रक व कागजात को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये। जब्तशुदा शराब की प्रत्येक किस्म में से एक–एक बोतल शराब व टीन बियर के कार्टनों में से एक टीन वास्ते F.S.L. जांच हेतु नमूना सेम्पल जुदा निकाल कर सिलचिट बन्द कर नमूना सेम्पल पर क्रमशः मार्क "A" से "D" अंकित किया व शेष शराब के कार्टनों पर मार्क 1 से 550 अंकित किये। अभियुक्त गुरमीतसिंह व बलविन्दसिंह को गिरफ्तार किया। थाने पर पहुंच कर प्रकरण कायम होगा। प्रकरण में जब्तशुदा शराब व नमूना सेम्पल शराब व बियर चौकी परिसर में रखवायी जाकर चौकी पर उपस्थित मालखाना H.M. हरनारायण 237 को सम्भलवाया गया। सेव फल काफी सड़े गले हुये पाये। ......इत्यादि, पर्चा कायमी पर पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि. व धारा 471 भा.द.सं. में तथा अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 54ए राज.आब.अधि. में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण गुरमीतसिंह व बलविन्दरिसंह को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि व धारा 471 भा.दं.सं. तथा अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54ए राज.आब.अधि. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो उन्होंने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 सुनील, पी.डब्ल्यू–2 पुष्पराजसिंह, पी.डब्ल्यू–3 हरनारायण, पी.डब्ल्यू–4 कालुराम, पी.डब्ल्यू–5 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू–6 अर्जुनसिंह, पी.डब्ल्यू–7 कचरू, पी.डब्ल्यू–8 दिग्वियजसिंह, पी.डब्ल्यू–9 रिपुदमनसिंह, पी.डब्ल्यू–10 गजराजसिंह, पी.डब्ल्यू–11 साहबराम, पी.डब्ल्यू–12 गजेन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू–13 सुरेन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू–14 दिलीप पहाड़ा, पी.डब्ल्यू–15 नवीनचन्द्र, पी.डब्ल्यू–16 प्रकाश, पी.डब्ल्यू–17 मोतीलाल व पी.डब्ल्यू–18 हजारीलाल को परीक्षित करवाया और प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–38 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। प्रकरण में अभियुक्तगण गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह को मफरूर घोषित किया गया तत्पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम की परीक्षा धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत की गई। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा। उभय पक्ष को सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पारित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम को धारा 19/54ए R.E.ACT के आरोप में उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

4. अपील के संबंध में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी शराब परिवहन में उपयोग किये गये ट्रक का मालिक नहीं है और न ही उससे उसका कोई लेना–देना है, फिर भी पुलिस द्वारा उसे एम.वी.एक्ट के तहत् नोटिस दिया गया है, लेकिन अपीलार्थी पर प्रावधान लागू नहीं होते है तो उस नोटिस की कोई महत्वता नहीं रह जाती है। कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार से

सैशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

अपीलार्थी लिप्त रहा हो। शराब परिवहन में उपयोग किये गये वाहन का पंजीकृत स्वामी रामकुमार है। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–6 अर्जुनसिंह ने वाहन स्वामी के बारे में मांगी गयी जानकारी के जवाब में वाहन का स्वामी रामकुमार होना बताया था और पत्रावली में मौजूद मूल असल आरसी प्रदर्श पी–20 के अनुसार वाहन स्वामी रामकुमार है। अपीलार्थी का वाहन से कोई संबंध नही है और पत्रावली में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दस्तावेज नहीं है। अपलार्थी मात्र उक्त वाहन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी–19 के आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराध में संलिप्त होने एवं वाहन का भौतिक कब्जा एवं स्वामी माना है जबकि पंजीकृत स्वामी रामलाल को मुल्जिम नहीं बनाया गया है। पुलिस द्वारा उससे सांठ–गांठ करके छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी को सहअभियुक्तगण गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह की सूचना प्रदर्श पी–16 व प्रदर्श पी–17 के आधार पर दोषी माना है। प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी का साक्षी पी.डब्ल्यू–11 साहबराम पक्षद्रोही हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–8 दिग्विजयसिंह ने अपनी जिरह में पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी–19 जब्ती के समय नहीं मिली थी इसलिये इसका इन्द्राज प्रदर्श पी–5 में नहीं है। ऐसी स्थिति में पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी–19 के बैक डेट में बनाये जाने की संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है। गवाह पी.डब्ल्यू–12 गजेन्द्रसिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–20 मूल आरसी एवं प्रदर्श पी–21 इकरारनामा वाहन से ही प्राप्त हुये थे और प्रदर्श पी–20 के अनुसार उक्त वाहन का वाहन स्वामी रामकुमार है। ऐसी स्थिति में रामकुमार को मुल्जिम नहीं बनाया जाना संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त दयाराम को जब्तशुदा वाहन ट्रक का स्वामी मानते हुये दोषसिद्ध किये जाने में त्रुटि की गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उसे दोषमुक्त घोषित किया जावे।

5. उभय पक्षों के तर्क–वितर्कों पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत अपील के निस्तारण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

"क्या दिनांक 20.08.2012 को 9:15 ए.एम. के लगभग रतनपुर चौकी के सामने एनएच 8 पर वाहन ट्रक संख्या आरजे 31 जीए 0915 में सहअभियुक्तगण गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह द्वारा विभिन्न किस्म की अंग्रेजी शराब के कुल 550 कार्टन में 3120 बोतलें व 6960 टीन बियर अंग्रेजी शराब जो केवल चण्डीगढ़ में विक्रय योग्य होकर 50 बल्क लीटर से अधिक थी, परिवहन करते हुये पाये गये जिस वाहन का अपीलार्थी दयाराम पंजीकृत स्वामी था? ''

6. अपीलार्थी/अभियुक्त पर धारा 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप था जिसे सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था और इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें प्रकरण में

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

जब्ती की कार्यवाही गजेन्द्रसिंह एस.एच.ओ. के नेतृत्व में की गयी है। यह प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है। जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू-12 गजेन्द्रसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 20.08.2012 को पुलिस थाना बिछीवाड़ा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन ईद का पर्व होने से मय जाब्ता कानि. दिग्विजय, कानि. रिपुदमन मय सरकारी जीप व चालक सुरेन्द्र सिंह के थाने से समय 7:30 ए.एम. पर रवाना हो, सर्कल गश्त में हुआ कि समय 8:30 बजे जरीये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक नं आर जे 31 जीए 0915 जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हो, शराब के कार्टनों पर प्लास्टिक के कट्टो में सेब फल भरे हुए हैं जो बिछीवाड़ा रतनपुर हो गुजरात की तरफ जाएगी। इत्तला विश्वसनीय होने व वह ईद पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था डयूटी में व्यस्त होने के कारण चौकी इंचार्ज रतनुपर पुष्पराज को चौकी के सामने नाकाबंदी करने व उक्त ट्रक आने पर डिटेन कर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। वह मौजा कनबा में डयूटी कर रहा था कि समय 9:15 ए. एम. पर एच.सी. पुष्पराज ने जरिये वायरलेस बताया कि ट्रक नं. आर जे 31 जी ए 0915 आया जिसमें चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ है जिनको डिटेन किया गया है। उक्त सूचना पर वह मय जाब्ता समय 9:45 ए.एम. पर चौकी रतनपुर पहुंचा जहां चौकी के सामने ट्रक नं. आरजे 31 जीए 0915 खड़ा मिला। जाब्ता एच.सी. पुष्पराज, कानि. नवीन व गजराज उपस्थित मिले व एक अन्य व्यक्ति व चालक खड़े मिले। मौतबिरान को तलब करने पर कचरू पिता रामजी निवासी बरोठी निचली व कालू पिता दिता निवासी बरोठी उपस्थित आए। मोतबिरान व जाब्ते को मुखबिर सूचना से अवगत करा धारा 47 राज.आब.अधि. का पर्चा मुर्तिब किया गया। ट्रक चालक, खलासी का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम गुरमितसिंह पिता गुरजानसिंह मजबी निवासी नरूहाना पी.एस. सदर भटिण्डा पंजाब व दूसरे ने बलविदंरसिंह पिता जगदीशसिंह निवासी नरूहाना पी.एस. सदर भटिण्डा पंजाब होना बताया। ट्रक को देखा गया तो ट्रक पर तिरपाल ढका हो रस्से से बंधा हुआ था। तिरपाल हटाकर देखा तो ट्रक के अंदर ऊपर सफेद प्लास्टिक के कट्टों में सेब फल पाए गए। कट्टों को हटाकर देखा तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए नजर आए। अंग्रेजी शराब के वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में चालक व खलासी को पूछा गया तो कोई कागजात नहीं होना बताया। ट्रक में भरी शराब को मौके पर खाली करने व चौकी पर रखने की जगह नहीं होने से व थाना परिसर में मालखाना व आवासीय क्वार्टस में जगह नहीं होने से ट्रक को चालक से चलवाकर मौतबिरान जाब्ता के चौकी कनबा परिसर आया व जरिये वायरलेस क्वेष्टी कर एच.सी. हरनारायण को तलब किया गया। ट्रक में भरी शराब की फॉटोग्राफी कराई गयी। मजदुरान को बुलाकर ट्रक को खाली करवाया गया तो ट्रक में सेब फल के भरे 75 कट्टे खाली करवाये व उनके नीचे भरी शराब को नीचे उतरवाकर गिनती की गयी तो डी.एस.पी. ब्लेक व्हिस्की बोतलों के 130 कार्टनों में 1560 बोतल शराब, डर्बी स्पेशल व्हिस्की बोतलों के 70 कार्टनों में 840 बोतले शराब, एरिस्टोक्रेट व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टनों में 720 बोतले शराब की, हेवर्ड़ 5000 टिन बियर के 290 कार्टनों 6960 टीन बियर भरी हुयी पायी गयी। उक्त शराब व बियर पर फोर सेल इन चण्डीगढ़ होना पायी गयी। ट्रक के केबिन में

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

ट्रक के कागजात पाए गए, जिसमें न्यू इंडिया कंपनी के इंश्यारेंस, नेश्नल परमीट, आर.सी. व इकरारनामा, सोनी रोड़ लाईन्स हिमाचल प्रदेश की बिल्टी पायी गयी। ट्रक चालक गुरूमीत तथा बलविंदरसिंह को 550 कार्टन शराब अपने कब्जे में रखने व परिवहन करना व अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया जो धारा 19/54 रा.आ.अधि. में अपराध होना पाया गया। उक्त शराब, ट्रक व कागजात को जरिये फर्द जब्त किये गए। जब्तशुदा शराब में से प्रति किस्म एक–एक बोतल व एक टीन बियर वास्ते जांच एफ.एस.एल. सिलचिट कर मार्क–ए से डी अंकित किया। शेष शराब से भरे कार्टनों को मार्क 1 से 550 अंकित किए गए। अभियुक्त गुरमितसिंह व बलविंदरसिंह को गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा शराब व सेंपल एच.एम. मालखाना को संभलवाया। पर्चा कायम किया।

7. आगे मुख्य परीक्षा में गवाह ने प्रकरण की फर्दात के संबंध में कथन करते हुए पर्चा कायमी प्रदर्श पी 11, धारा 47 का पर्चा प्रदर्श पी–12, फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–4, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 31 जीए 0915 प्रदर्श पी–5, रोजनामचा नकल रपट प्रदर्श पी–13, अर्जुनसिंह ए.एस. आई. द्वारा उसकी निशादेही से घटनास्थल का मौका मुआयना कर बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श पी–14 , मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–6 ए , एफ.एस.एल. जांच हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–1, एस.पी. का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–2, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गुरमितसिंह प्रदर्श पी–8, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बलविंदर सिंह प्रदर्श पी–9 व पर्चा कायमी प्रदर्श पी–11 को प्रदर्शित करवाया है। आगे गवाह ने कथन किया है कि उसके द्वारा मुकदमा 238/12 धारा 19/54 राज.आब.अधि. में दर्ज कर तफ्तीश ए.एस.आई. अर्जुनसिंह के जिम्मे की, जिन्होंने बाद अनुसंधान अभियुक्त गुरमितसिंह पिता गुरजानसिंह उर्फ मगरसिंह धारू मजबी निवासी नरूआना पी.एस. सदर भटिण्डा जिला भटिण्डा पंजाब व बलविंदर सिंह पिता जगदीशसिंह कड़ियारा निवासी नरूआना पी.एस. सदर भटिण्डा जिला भटिण्डा पंजाब के विरूद्ध धारा 19/54 रा.आ.अधि. व धारा 471 आई.पी.सी. तथा दयाराम पिता खुसाराम सहारण निवासी डबली राठान पी.एस. सदर हनुमानगढ़ (राजस्थान) के विरूद्ध धारा 54 ए राज.आब.अधि. में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली उसे संभलवाई थी जिसमें नतीजा कता कर आरोप पत्र उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया।

8. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त वाहन में सेब फल के परिवहन संबंधी दस्तावेजात मिले थे। यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर उक्त वाहन के सभी दस्तावेजात जब्ती की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि कागजात जब्ती के समय प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–21 वाहन से ही प्राप्त हुए थे। गवाह ने यह सही होना स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–20 के अनुसार उक्त वाहन का वाहन स्वामी राम कुमार है।

9. जब्तीदल में शामिल रहे पुलिसकर्मियों में से प्रकरण में पुष्पराजसिंह को पी.डब्ल्यू–2, अर्जुनसिंह को पी.डब्ल्यू–6, दिग्विजयसिंह को पी.डब्ल्यू–8, गजराजसिंह को पी.डब्ल्यू–10,

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

रिपुदमनसिंह को पी.डब्ल्यू–9, सुरेन्द्रसिंह को पी.डब्ल्यू–13 व नवीनचन्द्र को पी.डब्ल्यू–15 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू–2 पुष्पराजसिंह तत्कालीन हेड़ कानि. चौकी रतनपुर थाना बिछीवाड़ा ने अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–12 गजेन्द्रसिंह के कथनों की ताईद करते हुये मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2012 को वह चौकी रतनपुर थाना बिछीवाडा में तैनात था। उस समय एस.एच.ओ. गजेन्द्रिंसह थे। उन्होंने उसे सूचना दी थी कि एक ट्रक नंबर आरजे 31 जीए 0915 उदयपुर की तरफ से आयेगा और नाकाबंदी करके रोको। उसने नाकाबंदी शुरू की। सवेरे 08:30 बजे नाकाबंदी शुरू की। 09:10 पर उदयपुर की तरफ से वह ट्रक आया, जिसका नंबर बताया गया था। ट्रक में चालक व एक अन्य व्यक्ति था। ट्रक को रोक लिया और एक तरफ खड़ा करवा दिया और थाने पर सूचना दे दी। ट्रक चालक व दूसरे व्यक्ति को भी रोक लिया था। फिर थानेदार को सूचना दे दी। थानेदार पौने दस बजे के लगभग आये थे। थानेदार ने दो मौतबीर भी बुलाये थे जिन व्यक्तियों को रोका था उनके नाम पते पूछे थे जिन्होंने अपने नाम गुरूमीतसिंह व बलवीन्द्रसिंह बताये थे। ट्रक पर तिरपाल बंधा हुआ था। एस.एच.ओ. ने आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात तिरपाल खोला था। ट्रक में ऊपर प्लास्टिक के कट्टों में सेव फल भरे हुए थे। उनको हटवाकर देखा तो अंदर शराब के कार्टन भरे हुए थे। चौकी रतनपुर व थाने पर शराब को रखने की जगह नहीं होने के कारण कनबा चौकी पर लेकर आये थे। ट्रक में पाये गये दोनों व्यक्तियों को भी कनबा चौकी पर लाये थे। उनको उतार करके गिनती की थी और रखवाये थे। ट्रक की फोटोग्राफी करवायी थी। ट्रक में कुल पांच सौ पचास कार्टन विभिन्न प्रकार के थे। उनके कोई कागजात नहीं थे। एप्पल की एक बिल्टी जरूर पायी गयी थी। उसमें से सेंपल निकाले थे। सेंपल को सिलचिट भी किया था। गवाह ने इस बारे में फर्द जब्ती ट्रक व फर्द जब्ती शराब थानेदार द्वारा बनायी जाना, फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–4 व फर्द जब्ती ट्रक व कागजात प्रदर्श पी–5 होना जिन पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

10. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह, नवीनचन्द्र व गजराजसिंह वगैरा थे। उसने गाड़ी रोकी थी। गवाह ने आगे कथन किया है कि एस.एच.ओ. जब आये तब गाड़ी व दो व्यक्ति उनके पास ही थे। तलाशी वगैरा सब एस.एच.ओ. ने की थी।

11. जब्तीदल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–8 दिग्विजयसिंह तत्कालीन कानि. पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह के कथनों को समर्थन प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2012 को ईद का पर्व होने से वह व कानि. रिपुदमनसिंह 275 सरकारी जीप ड्राईवर सुरेन्द्रसिंह, एस.एच.ओ. गजेन्द्रसिंह के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी होने से थाने से 7:30 ए.एम. पर रवाना हुये, सर्कल में कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी दे रहे थे इसी बीच एस.एच.ओ. को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर आरजे 31 जीए 0915 जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरा हुआ तस्करी हेतु बिछीवाड़ा रतनपुर रोड़ गुजरात जायेगी, नाकाबंदी की जाये तो पकड़ में आ सकती है जिस पर एस.एच.ओ. व

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

वे कानून व्यवस्था ड्यूटी में कनबा में व्यस्त होने से आई.सी. ओपी रतनपुर एच.सी. पुष्पराजसिंह 313 को बताया कि आप ट्रक नंबर आरजे 31 जीए 0915 की नाकाबंदी करें, पकड़ में आने पर ट्रक व उसमें बैठे व्यक्ति को डिटेन कर उसे सूचित करें जिसपर एच.सी. ने उक्त ट्रक व अंदर बैठे दो व्यक्तियों को डिटेन कर एस.एच.ओ. को बताया जिस पर एस.एच.ओ. व वे सरकारी जीप के रतनपुर पहुंचे, जहां हेड़ कानि. पुष्पराजसिंह, कानि. नवीनचंद्र व गजराजसिंह उपस्थित मिले। रोड़ के साईड़ में ट्रक खड़ा मिला जिस पर एस.एच.ओ. ने मौतबीर कचरू व कालु निवासी बरोठी की तलबी की, उपस्थित आये जिनके समाने ट्रक का तिरपाल को तलाशी ली तो ट्रक के अंदर अंग्रेजी शराब व बीयर के कार्टन भरे हुये हो उस पर सेव फल के कट्टे भरे हुये नजर आये जिस पर एस.एच.ओ. ने मौके पर डिटेनशुदा व्यक्तियों से नाम पते पूछे तो मौजूद ट्रक ड्राईवर गुरूमीतसिंह व साथी बलविन्द्रसिंह होना बताया था व ट्रक का केबिन चेक करने पर अंदर इंश्योरेंस, आरसी, इकरारनामा व परमीट की फोटोकॉपी एवं सेव फल की बिल बिल्टी होना पायी गयी। चौकी पर व थाना परिसर तथा आवासीय क्वार्टर में शराब रखने की जगह नहीं होने से ट्रक मय पकड़ी हुई शराब सेव फल के कट्टे ड्राईवर व साथी बलविन्द्र व मौतबिरानों को लेकर चौकी कनबा पहुंचे व जरिये वायरलेस थाने पर एच.एम. मालखाना हरनारायण 237 को बताया कि आप चौकी पर उपस्थित मिले। एच.एम. मालखाना चौकी कनबा पर उपस्थित पाये, फिर ट्रक की फोटोग्राफी करा ट्रक में भरे सेव फल व शराब को ट्रक से नीचे उतरवाकर गिनती की गयी थी तो 75 कट्टे प्लास्टिक के कट्टे सड़े गले सेवफल पाये गये तथा विभिन्न किस्म की हरियाणा निर्मित शराब के 550 कार्टन शराब व टीन बीयर के पाये गये। टीन बीयर के 290 कार्टन थे जिस पर एस.एच.ओ. ने गुरूमीतसिंह व बलविन्द्र से शराब के बारे में पूछताछ की गयी तो उन्होंने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया जिस पर कुलिया शराब बीयर सेवफल मौतबीरान के समक्ष जब्त किये गये। जब्तशुदा शराब व बीयर में से एक–एक बोतल व एक टीन बीयर वास्ते एफ.एस.एल. जाँच हेतु जुदा निकाली जाकर सीलचिट बंद कर उस पर मार्क–ए से डी अंकित किया व कार्टन पर 1 से 550 अंकित किया। एस.एच.ओ. ने मौके पर फर्द जब्ती शराब बीयर व कागजात ट्रक जब्त की व अभियुक्त को गिरफ्तार किया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 व फर्द जब्ती ट्रक व कागजात प्रदर्श पी–5 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने आगे कथन किया है कि दिनांक 24.08.2012 को अनुसंधान अधिकारी अर्जुनसिंह ए.एस.आई. मय अभियुक्तगण के साथ जिरकपुर राजपुर रोड़ पर जाकर अभियुक्तों की सूचना पर उसके व कानि. रिपुदमन के समक्ष घटनास्थल की तस्दीक अभियुक्तों ने करायी जिसकी फर्द प्रदर्श पी–18 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर गाड़ी से जो कागजात मिले थे जो प्रदर्श पी–19 से लगातार प्रदर्श पी–25 तक है।

12. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–19 जब्ती के समय नहीं मिला था, न ही इसकी छाया प्रति मिली थी, इसिलये इसका इन्द्राज प्रदर्श पी–5 में नहीं है। इसने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि प्रदर्श पी–21 भी जब्ती के समय नहीं मिला हो और बाद में थाने में जाकर गलत रूप में इन्द्राज कर थाने पर हस्ताक्षार किये हो।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

13. जब्ती दल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू-9 रिपुदमनसिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह के कथनों को समर्थन प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 20.08.2012 को कानि. पी.एस. बिछीवाड़ा में कार्यरत था। ईद का पर्व होने से वह व कानि. दिग्विजयसिंह न. 101, एस.एच.ओ. मय सरकारी जीप के एस.एच.ओ. के साथ चालक सुरेन्द्रसिंह 698 के वास्ते कानून एवं शान्ति व्यवस्था डयूटी कर रहे थे। समय 9:15 ए.एम. पर एच.सी. पुष्पराजसिंह 313, ओ.पी. रतनपुर में जरिये वीएचएफ बताया कि आदेशानुसार उसने मय जाब्ता ने नाकाबंदी की तो ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 0915 आया जिसके चालक के अलावा अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था, चालक व अन्य व्यक्ति को डिटेन किया। उक्त सूचना पर वह जाब्ता कानि. दिग्विजयसिंह, सरकारी जीप चालक सुरेन्द्रसिंह के कनबा से थानाधिकारी के साथ रवाना हो समय 9:45 ए.एम. पर चौकी के सामने रतनपुर पहुंचे। चौकी के सामने ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 0915 खड़ा मिला व पास में ओ.पी. रतनुपर का जाब्ता एच.सी. पुष्पराजसिंह 313 एवं कानि. नवीनचन्द्र 243, गजराजसिंह 326 उपस्थित मिले व ट्रक व चालक तथा एक अन्य व्यक्ति भी पास में खड़े मिले, एस.एच.ओ. ने कार्यवाही के लिये मौतबिरानों को तलब करने पर कचरू पिता रामजी निवासी बरोठी व कालु पिता दिता निवासी बरोठी उपस्थित आये। थानेदार ने धारा 47 राज. आब. अधि. का पर्चा मुर्तिब किया। मौतबिरान व उनके सामने ट्रक चालक व एक अन्य व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम गुरूमीतसिंह पिता गुरजनसिंह निवासी दुरवाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब), बलविन्दरसिंह पिता जगदीशसिंह कड़ियारी निवासी नुरवाना पी.एस. भटिण्डा (पंजाब) का होना बताया। ट्रक में देखा तो ट्रक पर तिरपाल बंधा हुआ था जिस पर मौतबिरानों के समक्ष तिरपाल को खोलकर देखा तो ट्रक के अन्दर सफेद कट्टों में सेव फल रखे हुये पाये, कट्टों को हटाकर देखा तो नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टुन भरे पाये गये। ट्रक में भरी शराब मौके पर खाली करने और शराब रखने की जगह नहीं होने से व थाना परिसर में मालखाना व आवासीय क्वाटरों में शराब रखने की जगह नहीं होने से ट्रक को चालक से चलवाकर मय मौतबिरान जाब्ता व वह थानेदार के साथ में बलविन्दरसिंह को लेकर चौकी कनबा परिसर में आये व जरिये वृष्टि एच.एम. मालखाना को मय अनुसंधान सामग्री के ओ.पी. कनबा को तलब किया, तो हेड़ कानि. हरनारायण न. 237 उपस्थित आये। ट्रक में भरी शराब की फोटोग्राफी करायी। थानेदार ने मजदुरों को बुलवाकर ट्रक के पीछे सेव फल को 75 कट्टे को खाली करवाये। शराब की गिनती की तो डीएसपी ब्लैक विस्की बोतलों के 130 कार्टुन, डर्बी स्पेशियल बोतलों के 70 कार्टन व एरिस्ट्राकेरेट व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टन व हेवर्ड़ 5000 टिन बियर के 290 कार्टुन कुल 550 कार्टन फोर सेल इन चण्ड़ीगढ़ होना पाया गया, जिसे थानेदार ने जरिये फर्द के जब्त किया, जिसमें प्रति ब्राण्ड़ के एक-एक कार्टुनों में एक-एक सेम्पल एफ.एस.एल. जांच हेतु अलग निकाल सीलचिट चस्पा कर मार्क-ए से डी किया व दुसरे जब्तशुदा शराब के कार्टनों पर मार्क 1 से 550 अंकित किया ने कनबा चौकी परिसर में रखवायी व थानेदार ने मुलजिम गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह से इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब को अपने कब्जे में रख परिवहन करने के सबंध

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
(राज.)

में कागजात के बारे में पूछा तो कोई कागजात नहीं होना बताया जिस पर थानेदार ने अभियुक्त गुरुमीतसिंह पिता गुरजनसिंह उर्फ मगरसिंह मजबी निवासी नुरवाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) व बलविन्दरसिंह पिता जगदीशसिंह कड़ियारी मजबी निवासी नुरवाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) को गिरफ्तार किया। ट्रक से न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के कागज व बिल्टी 600 बैग सेव फल गुना (शिमला, हिमाचल प्रदेश) से अहमदाबाद की पायी गयी जिसे जरिये फर्द जब्त किया। थानेदार थाने पर आये। थानेदार ने प्रकरण दर्ज किया। दिनांक 24.08.2012 को अर्जुनसिंह ए.एस.आई. के साथ में वह, कानि. दिग्विजय सिंह घटनास्थल की तस्दीक हेतु सिरकपुर राजपुरा रोड़ गंगानगर ढाबा पंजाब पहुंचे, जहां पर मुल्जिम गुरुमीतसिंह व बलविन्दरसिंह, जिन्होंने जाब्ते के आगे–आगे चलकर उस स्थान की तस्दीक करायी थी, जहां से ट्रक मालिक दयाराम व शराब तस्कर गोरु ने अभियुक्तगणों को ट्रक संभलवायी थी उस स्थान की तस्दीक करायी थी। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 व फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–18 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

14. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दयाराम मौके पर गाड़ी के साथ नहीं था। गवाह का कथन है कि यह वाहन जहां से अभियुक्त गुरमीतसिंह व बलविन्दर लेकर रवाना हुआ था, वहां पर वह गया था। इसने यह सही होना बताया है कि उसके सामने अन्य किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुयी।

15. जब्ती दल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–13 सुरेन्द्रसिंह तत्कालीन चालक थाना बिछीवाड़ा ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह के कथनों को समर्थन प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 20.08.2012 को पुलिस थाना बिछीवाड़ा में चालक के पद पर तैनात था। उस दिन ईद का पर्व होने से मय जाब्ता एस.एच.ओ. के साथ कानि. दिग्विजय, कानि. रिपुदमन मय सरकारी जीप के थाने से समय 7:30 ए.एम. पर रवाना हो, सर्किल गश्त में हुआ कि समय 8:30 बजे जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक नं. आरजे 31 जीए 0915 जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हो शराब के कार्टनों पर प्लास्टिक के कट्टों में सेब फल भरे हुए है जो बिछीवाड़ा रतनपुर हो गुजरात तरफ जाएगी। इत्तला विश्वसनीय होने व एस. एच. ओ. ने ईद पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था डयूटी में व्यस्त होने के कारण चौकी इंचार्ज रतनुपर पुष्पराज को चौकी के सामने नाकाबंदी करने व उक्त ट्रक आने पर डिटेन कर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। एस. एच. ओ. मौजा कनबा में ड्यूटी कर रहे थे कि समय 9:15 ए. एम. पर एच.सी. पुष्पराज ने जरिये वायरलेस बताया कि ट्रक नं. आरजे 31 जीए 0915 आया जिसमें चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ है जिनको डिटेन किया गया है। उक्त सूचना पर एस. एच. ओ. मय जाब्ता वह समय 9:5 ए. एम. पर चौकी रतनपुर पहुंचे, जहां चौकी के सामने ट्रक नं. आरजे 31 जीए 0915 खड़ा मिला। जाब्ता एच.सी. पुष्पराज, कानि. नवीन व गजराज उपस्थित मिले व एक अन्य व्यक्ति व चालक खड़े मिले। मौतबिरान को तलब करने पर कचरू पिता रामजी

6/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

निवासी बरोठी निचली व कालू पिता दिता निवासी बरोठी उपस्थित आए। मोतबिरान व जाब्ते को मुखबिर सूचना से अवगत करा धारा 47 राज.आब.अधि. का पर्चा मुर्तिब किया गया। ट्रक चालक व खलासी का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम गुरमितसिंह पिता गुरजानसिंह मजबी निवासी नरूहाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) व दूसरे ने बलविंदरसिंह पिता जगदीशसिंह निवासी नरूहाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) होना बताया। ट्रक को देखा गया तो ट्रक पर तिरपाल ढका हो रस्से से बंधा हुआ था। तिरपाल हटाकर देखा तो ट्रक के अंदर ऊपर सफेद प्लास्टिक के कट्टों में सेब फल पाए गए। कट्टों को हटाकर देखा तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए नजर आए। अंग्रेजी शराब के वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में चालक व खलासी को पूछा गया तो कोई कागजात नहीं होना बताया। ट्रक में भरी शराब को मौके पर खाली करने व चौकी पर रखने की जगह नहीं होने से व थाना परिसर में मालखाना व आवासिय क्वार्टर्स में जगह नहीं होने से ट्रक को चालक से चलवाकर मोतबिरान जाब्ता के चौकी कनबा परिसर आया व जरीये वायरलेस क्वेष्टी कर एच.सी. हरनारायण को तलब किया गया। ट्रक में भरी शराब की फॉटोग्राफी कराई गयी। मजदुरान को बुलाकर ट्रक को खाली करवाया गया तो ट्रक में सेब फल के भरे 75 कट्टे खाली करवाए व उनके नीचे भरी शराब को नीचे उतरवाकर गिनती की गयी तो डीएपी ब्लेक व्हिस्की बोतलों के 130 कार्टन में 1560 बोतल शराब, डर्बी स्पेशल व्हिस्की बोतलों के 70 कार्टन में 840 बोतले शराब, एरिस्टोक्रेट व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टन में 720 बोतले शराब की, हेवर्ड़ 5000 टिन बियर के 290 कार्टन 6960 टीन बियर भरी हुयी पायी गयी। उक्त शराब व बियर पर फोर सेल इन चण्डीगढ़ होना पायी गयी। ट्रक के केबिन में ट्रक के कागजात पाए गए जिसमें न्यू इंडिया कंपनी के इंश्योरेंस, नेश्नल परमीट, आरसी व इकरारनामा, सोनी रोड़ लाईन्स हिमाचल प्रदेश की बिल्टी पायी गयी। ट्रक चालक गुरुमीत तथा बलविंदरसिंह को 550 कार्टन शराब अपने कब्जे में रखने व परिवहन करना व अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया जो धारा 19/54 राज.आब.अधि. में अपराध होना पाया गया। उक्त शराब, ट्रक व कागजात को जरीये फर्द जब्त किये गए। जब्तशुदा शराब में से प्रति किस्म एक-एक बोतल व एक टीन बियर वास्ते जांच एफ.एस.एल. सिलचिट कर मार्क ए से डी अंकित किया। शेष शराब से भरे कार्टन को मार्क 1 से 550 अंकित किए गए। अभियुक्त गुरमितसिंह व बलविंदरसिंह को गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा शराब व सेंपल एचएम मालखाना को संभलवाया। पर्चा कायम किया। रोजनामचा नकल रपट प्रदर्श पी 13 है।

16. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मौके से वाहन के कागजात मिले थे। गवाह का कथन है कि उसे नहीं पता कि वाहन के कागजात में वाहन के स्वामी का नाम क्या था। इसने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने कोई माल बरामद नहीं हुआ हो और सीलचिट नहीं किया हो। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि उसके किसी भी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

17. जब्ती दल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू-15 नवीनचन्द्र तत्कालीन कानि. थाना बिछीवाड़ा ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह के कथनों को समर्थन प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2012 को पुष्पराजसिंह हेड कानि. ने बताया कि ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 0915 में शराब भर कर आ रही है जिस पर वह व गजराजसिंह व हेड कानि. पुष्पराज सिंह ने चौकी के सामने नाकाबंदी शुरू की। समय करीब 9:10 ए.एम. पर ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 0915 आया जिसकी सूचना थानाधिकारी को दी, जिस पर एस.एच.ओ. गजेन्द्र सिंह, दिग्विजयसिंह व धर्मेन्द्रसिंह तथा चालक सुरेन्द्र मौके पर आये। स्वतंत्र मौतबीर को तलब किया तो कचरू पिता रामजी निवासी बरोठी व कालू पिता दिता निवासी बरोठी आये। ट्रक के अंदर देखा तो एक चालक व एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरूमीतसिंह पिता गुरूजानसिंह निवासी नौवाना थाना सदर भटिण्डा (पंजाब) व दूसरे ने अपना नाम बलविन्दरसिंह पिता जगदीशसिंह निवासी नौवाना थाना सदर भटिण्डा (पंजाब) होना बताया। ट्रक पर तिरपाल रस्सी से बंधा हुआ था जिस पर मौतबीरों के समक्ष तिरपाल हटाकर देखा तो सेव फल के कट्टे भरे हुए थे। कट्टों को हटाकर देखा तो नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। ट्रक में भरी शराब मौके पर रखने की जगह नहीं होने से पुलिस चौकी कनबा मय मौतबिरान जाब्ता के ले गए। थाने से मालखाना इंचार्ज की तलबी की गई व मजदूरों को बुलवाकर ट्रक को खाली करवाया गया। ट्रक में सेव फल के 75 कट्टे खाली करवाए गए। ट्रक में भरी शराब की गिनती की गई तो बी.एस.पी ब्लेक व्हिस्की बोतल के 130 कार्टुन, एरिस्टोक्रेट व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टन, डर्बी स्पेशल व्हिस्की बोतलों के 70 कार्टन, हैवर्डस टीन बियरों के 290 कार्टन फोर सेल इन चंडीगढ़ एण्ड पंजाब की होना पाई गई। ट्रक के केबिन में चेक करने पर आरसी, इंश्योरेंस, नेशनल परमीट की छाया प्रतियां पाई गई। सोपी रोड़ लाईन्स गोमा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की बिल्टी 600 नंग सेव फल की पाई गई। जिसमें गोमा से अहमदाबाद जाना पाया। ट्रक चालक गुरूमीतसिंह व बलविन्दर सिंह द्वारा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर के 550 कार्टन अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना पाया जाने से धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम का अपराध बनना पाए जाने से प्रत्येक कार्टन में से एक-एक बोतल शराब एवं एक-एक बियर नमूना सैम्पल हेतु निकाल कर एफ.एस.एल. जांच हेतु सिलचिट किया गया। अभियुक्त गुरूमीतसिंह व बलविन्दरसिंह को गिरफ्तार किया गया।

18. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि गाड़ी के अंदर से गाड़ी की आरसी वगैरा कागजात मिले थे। यह उसे नहीं पता कि ट्रक की आरसी में ट्रक का मालिक कौन था।

19. जब्ती दल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू-10 गजराजसिंह तत्कालीन कानि. थाना बिछीवाड़ा ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह के कथनों को समर्थन प्रदान

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2012 को ओ.पी. रतनपुर पी.एस. बिछीवाड़ा में कानि. के पद पर कार्यरत था। उनकी चौकी के इन्चार्ज पुष्पराजसिंह हेड़ कानि., नवीनचन्द्र व वह उन्हें हेड़ कानि. ने बताया कि एक ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 0915 में शराब भरकर आ रही जिस पर उसने व हेड़ कानि. व कानि. नवीनचन्द्र चौकी के सामने एन.एच. 08 पर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 9:10 ए.एम. पर मुताबिक सूचना के ट्रक के नम्बर आरजे 31 जीए 0915 आया, जिसे हेड़ कानि. व उन्होंने रूकवाया। उक्त ट्रक में चालक व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति बैठा था। उक्त ट्रक के बारे में हेड़ कानि. ने जरिये वायरलेस एस.एच.ओ. को सूचना दी, जिस पर समय करीब 9:45 ए.एम. पर एस.एच.ओ. मय जाब्ता के सरकारी जीप के चौकी पर उपस्थित आये। एस.एच.ओ. ने मौतबिर को तलब किया तो मौतबिर उपस्थित आये। उक्त ट्रक को चालक से चलवाकर एस.एच.ओ. मय जाब्ता तथा एक अन्य व्यक्ति सरकारी वाहन में बैठा था। पी.एस. बिछीवाड़ा पर मालखाना में जगह नहीं होने की वजह से वाहन को ओ.पी. कनबा लेकर गये, जहां पर ट्रक में से माल को खाली करवाया, तो उक्त ट्रक में सेव फल के 75 कट्टे निकले तथा डीएसपी ब्लेक व्हिस्की बोतलों के 130 कार्टन, डर्बी स्पेशियल बोतलों के 70 कार्टन, एरोस्टोकेट प्रीमियम व्हिस्की बोतलों के 60 कार्टन एवं हेवडर्स 5000 टिन बियर के 290 कार्टन कुल 530 कार्टन ओपी कनबा पर खाली करवाया। ट्रक की केबिन में से न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ के कागजात की छायाप्रति एवं माल सेव फल कुल 600 बैग की गुना (शिमला हिमाचल प्रदेश) से अहमदाबाद को ले जाने की मिली। उसके बाद एस.एच.ओ. ने ट्रक चालक ने गुरूमीतसिंह पिता गुरजनसिंह निवासी नरूवाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) व साथी व्यक्ति बलविन्दरसिंह पिता जगदीशसिंह कड़ियाना निवासी नरूवाना पी.एस. सदर भटिण्डा (पंजाब) को गिरफ्तार किया तथा ट्रक एवं उक्त दोनों अभियुक्तगण साथ लेकर पी.एस. बिछीवाडा में लेकर आये, जहां एस.एच.ओ. ने प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की। मालखाना इन्चार्ज को जरिये वीएचएफ आवश्यक अनुसंधान सामग्री लेकर ओ.पी. कनबा पर आने को कहा। उसके सामने मौके पर सैम्पल शराब के लिये गये थे। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसे कोई सूचना नहीं मिली थी, हेड़ को सूचना मिली थी। वह गाड़ी के अन्दर नहीं चढ़ा था। गवाह ने कथन किया है कि उसके सामने सेम्पल लिये थे।

20. जब्ती अधिकारी व जब्तीदल के उक्त सदस्य साक्षीगण ने एक स्वर से प्रकरण की तलाशी व जब्ती की कार्यवाही को पूर्णतः समर्थन प्रदान किया है तथा तलाशी व जब्ती के संबंध में इन गवाहान की मुख्य परीक्षा के कथन प्रतिपरीक्षा में अखण्ड़ित रहे हैं। जब्ती अधिकारी व गवाहान से जिन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा की गई है, उससे कोई ऐसा तात्विक व ठोस बिन्दु उभरकर नहीं आया है जिसके आधार पर प्रकरण की तलाशी व जब्ती की कार्यवाही पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता हो। गवाहान की साक्ष्य तलाशी व जब्ती की कार्यवाही के संबंध में पूर्णतः विश्वसनीय होकर गवाहान की साक्ष्य से प्रकरण की तलाशी व जब्ती की कार्यवाही प्रमाणित है।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

21. प्रकरण में मौतबिर साक्षी पी.डब्ल्यू-4 कालूराम व पी.डब्ल्यू-7 कचरू हैं। साक्षी पी.डब्ल्यू-4 कालूराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब पाँच माह पहले वह तथा कचरू रतनपुर चौकी के सामने खड़े थे। पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। गाड़ियों को रोककर तलाशी भी ले रहे थे। सुबह 10:00 बजे लगभग उदयपुर की तरफ से आने वाले रोड़ पर एक ट्रक जिसके नंबर उसे याद नहीं आया जिसे पुलिस वालों ने रूकवाया और ट्रक को चेक किया। ऊपर सेव फल भी थे और उसके नीचे शराब के कार्टन भरे थे। बिछीवाड़ा के थानेदार व चौकी के जाब्ते ने उनके सामने कार्टनों की गिनती की, कुल 550 कार्टन थे जिसमें शराब व बीयर थी। ट्रक में दो जने सवार थे जिसमें से एक चालक था। थानेदार ने उनके सामने उनके नाम पते पूछे थे। एक ने बलवंतसिंह व गुरूवंतसिंह बताये थे। हाजिर अदालत मुल्जिमान वही है जिन्हें पुलिस ने मौके पर पकड़ा था। शराब व बीयर को लिखापढ़ी कर जब्त किया था। ट्रक को जब्त किया था। शराब/बीयर में से सेम्पल निकाले थे। कितने निकाले ध्यान नहीं, सिलचिट किया था। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी-4, फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी-5 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर कराये थे। शराब/बियर कौनसी-कौनसी कंपनी के बारे में आज याद नहीं। फर्द सेव फल निस्तारण प्रदर्श पी-7 पर व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 व 9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि वाहन के रूकने पर उस वाहन में कौन व्यक्ति हो उसकी उसे जानकारी न हो। इस गवाह के कथनों से भी अभियोजन कहानी को मदद मिलती है।

22. अन्य स्वतंत्र मौतबिर साक्षी पी.डब्ल्यू-7 कचरू पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग ढाई-तीन साल पहले पुलिस ने एक ट्रक पकड़कर शराब की जब्ती की हो उसे जानकारी नहीं हो। उसके सामने जब्ती नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-38 का ए से बी भाग के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-38, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 व फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि पुलिस ने सेव फल उन्हें खिलाये जो कि बिगड़ रहे थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी-7 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि हस्ताक्षर करने के लिये पुलिस ने कोई जोर दबाव नहीं की थी। फर्द प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, किस संबंध में कराये उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि जो फोटोग्राफ 30 से लगायत 37 तक लगे हुये उसी ट्रक के सेव फल उन्हें खिलाये थे। इस गवाह ने फर्दो पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। स्वतंत्र मौतबीर के पक्षद्रोही हो जाने मात्र के आधार पर जब्ती अधिकारी व जब्ती दल के सदस्य साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास कर उसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र मौतबीर साक्षी के पक्षद्रोही घोषित हो जाने के आधार मात्र पर प्रकरण की बरामदगी की कार्यवाही पर किसी प्रकार का संदेह किया जाना कतई न्यायानुकुल नहीं होगा। इस न्यायालय के विनम्र मत में यदि स्वतन्त्र मौतबीर साक्षी के पक्षद्रोही घोषित हो जाने

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

के आधार मात्र पर पुलिसकर्मी साक्षीगण की ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य को नकारते हुए अभियुक्तगण को लाभ प्रदान किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के लिये एक सौगात के समान होगी। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार उक्त स्वतन्त्र मौतबीर साक्षी के पक्षद्रोही घोषित हो जाने मात्र से अभियोजन की बरामदगी की कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

23. जब्ती अधिकारी व जब्ती दल के सभी साक्षीगण ने अभियुक्तगण गुरमीतसिंह व बलविंदरसिंह द्वारा उनके कब्जेशुदा वाहन ट्रक नंबर RJ 31 GA 0915 से परिवहन की जा रही जब्तशुदा विभिन्न किस्म की अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 550 कार्टन में 3120 बोतलें व 6960 टिन बीयर अंग्रेजी शराब जो केवल चण्डीगढ़ में विक्रय योग्य होना बताया है। बरामद अंग्रेजी शराब में से लिये गये नमूना सैम्पल मार्क–A, B व C की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी–13 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है, जिसके अनुसार उक्त नमूना सैम्पल मार्क –A, B व C तथा D में एथिल एल्कोहॉल होना पाया गया है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण गुरुमीतसिंह व बलविंदरसिंह से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

24. गवाह पी.डल्यू–3 हरनारायण तत्कालीन मालखाना इंचार्ज पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20.08.2012 को प्रकरण संख्या–236/2012 में गजेन्द्रसिंह एस.एच.ओ. द्वारा जब्त किया गया शराब व बियर के कार्टन, 04 नमूने बोतले व ट्रक मालखाने में रखने के लिये उसे संभलवाये जाने पर शराब को चौकी कनबा में एवं सेम्पल की बोतले चार व ट्रक को बिछीवाड़ा थाने पर जमा किया जाना कथन किया है। गवाह ने रजिस्टर में प्रविष्ठि 314 नंबर पर करना, रजिस्टर की प्रविष्ठि प्रदर्श पी–6 जिसकी प्रति प्रदर्श पी–6 ए होना, नमूने की बोतले एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु कागजात तैयार कराने के लिये कानि. सुनील को 12.09.2012 को सम्भलवाया जाना, कागज तैयार कराकर शाम को वापस थाने पर आना और बोतलों को वापस उसे सम्भलाया जाना जिसकी उसके द्वारा प्रविष्ठि की जाना, दूसरे दिन उन बोतलों को एफ.एस.एल. में जमा कराने के लिये उदयपुर लेकर जाना जिसकी रसीद लाकर दी जाना, इन चारों घटना की उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में प्रविष्ठि की जाना जिस पर प्रत्येक प्रविष्ठि के पश्चात उसके हस्ताक्षर होना प्रदर्श पी–6 ए में भी उसका उल्लेख होना बताते हुये जिस समय उसके द्वारा बोतले सम्भलायी वे सीलचिट अवस्था में होना और उनको उसके द्वारा सीलचिट अवस्था में ही सुनील को सम्भलाया जाना तथा दूसरे दिन सीलचिट अवस्था में वापस ही प्राप्त किया जाना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने सारी प्रविष्टियां बाद में बिना माल देखे व माल प्राप्त किये की हो। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन जिरह में अखण्ड़ित रहे हैं।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

25. गवाह पी.डब्ल्यू-1 सुनील तत्कालीन कानि. पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 12.09.2012 को मालखाना इंचार्ज हरनारायण द्वारा प्रकरण संख्या-238/2012 में एफ.एस.एल. जाँच हेतु कुल चार सेम्पल सिलचिट अवस्था में सम्भलवाने, जिसमें तीन बोतले, एक टीन व मार्क ए से डी तक अंकित को उसे दिये जाने पर उसके द्वारा एस.पी. कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दूसरे दिन एफ.एस.एल. प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराये जाना कथन किया है और इसने थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-1, एस.पी. ऑफिस का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-2 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-3 होना बताते हुये उसके द्वारा मालखाना प्रभारी को संभलवायी जाना कथित किया है तथा सैम्पल जब तक उसके पास रहे सीलचिट अवस्था में रहने होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने पैकेट को खोल कर नहीं देखा था, इसलिये वह नही बता सकता है। इसने अंत में कथन किया है कि इस प्रकरण के अलावा वह उस दिन अन्य प्रकरण का सेम्पल नहीं ले गया था। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन जिरह में अखण्ड़ित रहे हैं।

26. गवाह पी.डब्ल्यू-5 ओमप्रकाश तत्कालीन एस.आई. एम.टी.ओ. आरपीएल डूँगरपुर द्वारा दिनांक 24.11.2012 को प्रकरण संख्या-238/12 में जब्तशुदा ट्रक आरजे 31 जीए 0915 टाटा का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 बनायी जाना और ट्रक का चालू हालत में होकर कोई तकनीकी खराबी नहीं पाया जाना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने पत्रावली में आरसी देखकर नंबर लिख लिये हो। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का जिरह में कोई खण्डन नहीं हो पाया है।

27. गवाह पी.डब्ल्यू-14 दिलीप पहाड़ फोटोग्राफर है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20.08.2012 को पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा उसे फोटोग्राफी करने के लिये बुलाया जाने पर अपना डिजिटल केमरा लेकर थाने में जाकर पुलिस द्वारा एक ट्रक में अवैध शराब पकड़ी थी के फोटो खींचना, जो फोटोग्राफ प्रदर्श पी-30 से लगायत प्रदर्श पी-37 होना जिनपर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुये उक्त फोटो की उसके द्वारा प्रिंट करवाकर पुलिस थाना बिछीवाड़ा को दिये जाने बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि फोटों खींचने वह दिनांक 20.08.2012 को गया था। वह सुबह 8:00-9:00 बजे के करीब गया था। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सभी फोटों उसने थाने पर खींचे थे। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक में अवैध शराब परिवहन की जा रही थी की फोटोग्राफी की जाना प्रमाणित है।

28. प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू-6 अर्जुनसिंह तत्कालीन ए.एस.आई. पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2012 को गजेन्द्रसिंह एस.एच.ओ. ने मुखबीर की सूचना पर रतनपुर चौकी इंचार्ज को नाकाबंदी करने सूचित किया एवं

सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

चौकी इंचार्ज द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो ट्रक नंबर आरजे 31 जीए 0915 खड़ा हुआ था। पुलिस जाप्ता भी वहीं था। मुल्जिमान गुरमितसिंह, बलवंतसिंह को वहां पर बैठा रखा था। ट्रक में अंग्रेजी शराब के कुल 550 कार्टन भरे हुए थे, जिसके कागजात नहीं होने से एस.एच.ओ. ने उक्त शराब व बियर को जब्त किया। ट्रक को जब्त किया। पर्चा कायमी मुर्तिब की। तलाशी के पूर्व धारा 47 राज. आबकारी अधि. का पर्चा बनाया था। पर्चा कायमी प्रदर्श पी-11 पर एस.एच.ओ. ने प्रकरण संख्या 238/2012 दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की। उसने एस.एच.ओ. द्वारा मुर्तिब फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी-4, फर्द जब्ती ट्रक प्र. पी. -5, पर्चा कायमी प्र.पी. 11, पर्चा दफा 47 प्र.पी. 12, फर्द गिरफ्तारी गुरूमीतसिंह प्र.पी. 8 व बलविन्दरसिंह प्र.पी.-9 की फर्द पत्रावली में संलग्न की एवं तफ्तीश उसने प्रारम्भ की। दौराने अनुसंधान रोजनामचा आम की नकल प्र.पी.-13 शामिल पत्रावली की थी। गवाह गजेन्द्रसिंह, दिग्विजय सिंह, रिपुदमनसिंह, कालु, कचरू, सुरेन्द्रसिंह, पुष्पराजसिंह, नवीनचंद्र, गजराजसिंह, हजारीलाल, शहाबराम, रामकुमार, सुनिल कुमार व हरनारायण के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। चौकी के सामने पहुंचकर नक्शा मौका प्र.पी. 14 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहों के हस्ताक्षर व जी से एच एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर कराये। डी.टी.ओ. हनुमानगढ़ को तहरीर प्र.पी. 15 दी थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तहरीर में वाहन स्वामी के बारे में जानकारी मांगी थी। डी.टी.ओ. हनुमानगढ़ ने जवाब में वाहन नंबर आरजे 31 जीए 0915 का वाहन स्वामी रामकुमार होना बताया था। जवाब शामिल फाईल किया। उक्त ट्रक में सेव फल भी भरे हुए थे जिनका न्यायालय हाजा से आदेश करवाकर निस्तारण कराया, फर्द निस्तारण प्र.पी. 7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

29. आगे गवाह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त गुरमितसिंह ने जैर हिरासत सूचना दी कि उसको व बलविन्दरसिंह को ट्रक के मालिक दयाराम ने राजपुरा रोड़ पर गंगानगर ढाबे के पास ट्रक संभलवायी थी उस स्थान को बता सकता है। अभियुक्त बलविन्दर सिंह ने भी इसी आशय की सूचना दी थी। सूचना गुरमितसिंह प्रदर्श पी-16 व बलविंदरसिंह प्रदर्श पी-17 है, जिसमें ए से बी सूचना उनके कथनानुसार लिखकर सी से डी हस्ताक्षर कराये व ई से एफ उसने हस्ताक्षर किये। सूचना के आधार पर उसे मुल्जिमान ने घटनास्थल जहां से ट्रक संभलवाना बताया था उस स्थान की तस्दीक करायी जो प्रदर्श पी-18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी गुरमितसिंह के, ई से एफ बलविन्दरसिंह व जी से एच दिग्विजयसिंह व आई से जे रिपुदमनसिंह के हस्ताक्षर कराये। वाहन स्वामी रामकुमार ने उक्त वाहन की पॉवर ऑफ अटार्नी दयाराम को दी थी। पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी-19 है जिसको उसने शामिल फाईल किया, ए से बी गवाह का पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मूल आर.सी. प्रदर्श पी-20 है। उक्त ट्रक को देवीलाल ने रामकुमार को विक्रय किया था जिसका इकरारनामा की सत्य प्रति प्रदर्श पी-21 है जिस पर ए से बी उसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। परमिट वाहन प्रदर्श पी-22 है, बीमा प्रदर्श पी-23 है जो शामिल फाईल किये। ट्रक को जब्त करने के समय मुल्जिमान ने जो बिल्टी पेश की थी, उसको भी

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

उसने शामिल फाईल किया। बिल्टी प्रदर्श पी–24 व 25 है जिस पर ए से बी उसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। उक्त बिल्टी सेव फल की थी। दयाराम की सकुनत तस्दीक प्रदर्श पी–26 प्राप्त कर शामिल फाईल की। रामकुमार व दयाराम दोनों सगे भाई हैं एवं रामकुमार ने दयाराम को उक्त वाहन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी जिसके आधार पर उसने दयाराम को 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–27 दिया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी दयाराम ने जवाब देकर स्वयं को जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी मालिक बताया एवं उक्त ट्रक को गुरमितसिंह व बलविन्दरसिंह को सुपुर्द करना बताया, ई से एफ उसने हस्ताक्षर किये थे। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 6 ए शामिल फाईल की। रामकुमार ने जो पॉवर ऑफ एटोर्नी दी थी। उसके स्टाम्प लिखावट की जानकारी हेतु रूपाराम हैड़ कानि. को हनुमानगढ़ भेजा था, जिसने गवाह प्रवीण, गोविंद कुमार व जरनेलसिंह के बयान लेखबद्ध किये। इन बयानों से वाहन मालिक दयाराम होना स्पष्ट हुआ था। ट्रक की मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 प्राप्त कर शामिल फाईल की। एफ.एस.एल. जांच के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–1 व 2 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–3 शामिल फाईल की। अनुसंधान से वाहन मालिक दयाराम होने से उसको जरिये फर्द प्रदर्श पी–28 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है, व सी से डी दयाराम के हस्ताक्षर कराये, ई से एफ व जी से एच गवाहों के हस्ताक्षर कराये। एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 इसी प्रकरण से संबंधित है जो पत्रावली में संलग्न है। सेव फल निस्तारण एवं ट्रक के फोटो राजमंदिर स्टूड़ियो से लिये थे। फोटो प्रदर्श पी–30 से प्रदर्श पी–37 है जो शामिल फाईल किये। बाद अनुसंधान मुल्जिमान गुरमितसिंह व बलविन्दरसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम एवं 471 भा.दं.सं. व दयाराम के विरूद्ध धारा 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित होने से पत्रावली एस.एच.ओ. को पेश की, जिन्होंने चालान न्यायालय में पेश किया।

30. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि इस ट्रक का पंजीकृत स्वामी रामकुमार है। रामकुमार से तफ्तीश की थी और उसके बयान लिये थे। गवाह का कथन रहा है कि प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी सब रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन स्वामी रामकुमार को 133 का नोटिस दिया। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि प्रदर्श पी 19 उसे अभियुक्त दयाराम द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसने दोबारा जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़ को जानकारी नहीं दी। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी उसे रामकुमार ने प्रस्तुत की हो। गवाह का यह कथन रहा है कि प्रदर्श पी 27 में सी से डी इबारत किसके हाथ की है वह आज नहीं बता सकता। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि ई से एफ हस्ताक्षर कोरे कागज पर कराये हो। इसने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसने रामकुमार से मिलकर दयाराम को मुल्जिम बना दिया हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दयाराम गाड़ी के साथ नहीं हो। अन्त में गवाह ने यह सही होना बताया है कि उसने रामकुमार को मुल्जिम बनना नहीं पाया, इसलिए मुल्जिम नहीं बनाया।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

31. इस प्रकार जब्ती अधिकारी गजेन्द्रसिंह पी.डब्ल्यू–12 का साक्ष्य में यह कथन रहा कि प्रकरण में जब्त किये गये वाहन के केबिन में ट्रक के कागजात न्यू इंडिया कंपनी के इंश्योरेंस नेश्नल परमीट, आरसी व इकरारनामा तथा सोनी रोड़ लाईन्स हिमाचल प्रदेश की बिल्टी पायी गयी, जिनको जब्त किया गया। जब्तीदल के सदस्य साक्षीगण पी.डब्ल्यू–8 दिग्विजयसिंह ने अपनी साक्ष्य में ट्रक का केबिन चेक करने पर अंदर इंश्योरेंस, आरसी, इकरारनामा व परमीट की फोटोकॉपी तथा सेव फल की बिल बिल्टी होना बताया है। पी.डब्ल्यू–9 रिपुदमनसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में ट्रक से न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के कागज व बिल्टी 600 बैग सेव फल गुना से अहमदाबाद की पायी जाना बताया है। इसी तरह साक्षी पी.डब्ल्यू–13 सुरेन्द्रसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में ट्रक के केबिन में न्यू इण्डिया कंपनी के इंश्योरेंस, नेश्नल परमीट, आरसी व इकरारनामा तथा सोनी रोड़ लाईन्स हिमाचल प्रदेश की बिल्टी पायी जाना बताया है। इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–15 नवीनचन्द्र ने भी अपनी साक्ष्य में ट्रक के केबिन में चेक करने पर आरसी, इंश्योरेंस व नेश्नल परमीट की छायाप्रतियां एवं सोपी रोड़ लाईन्स गोमा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की बिल्टी 600 नंग सेव फल की पायी जाना बताया है। इसी तरह गवाह पी.डब्ल्यू–2 पुष्पराजसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में एप्पल की बिल्टी पाया जाना कथन किया है। अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–10 गजराजसिंह ने अपनी साक्ष्य में ट्रक के केबिन में से न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ के कागजात की छायाप्रति एवं माल सेव फल कुल 600 बैग की गुना से अहमदाबाद की बिल्टी मिलना बताया है।

32. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–6 अर्जुनसिंह ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी–19, मूल आरसी प्रदर्श पी–20 इकरारनामा की सत्यप्रति प्रदर्श पी–21, परमीट प्रदर्श पी–22 व बीमा प्रदर्श पी–23 जब्त किये थे। दस्तावेज प्रदर्श पी–20 व विक्रय इकरारनामा की सत्यप्रति प्रदर्श पी–21 तथा परमीट प्रदर्श पी–22 के अवलोकन से जब्तशुदा ट्रक नंबर RJ 31 GA 0915 का पंजीकृत स्वामी रामकुमार का होना प्रकट होता है। इस गवाह की जिरह में यह स्वीकारोक्ति रही है कि उसने वाहन स्वामी रामकुमार को 133 का नोटिस नहीं दिया।

33. जहां तक प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी का विषय है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–6 अर्जुनसिंह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी सब रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत नहीं है। उक्त प्रदर्श पी–19 का साक्षी पी.डब्ल्यू–11 साहबराम है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुख्तारनामा चार साल पहले प्रदर्श पी–19 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिसमें रामकुमार ने दयाराम को आरजे 31 जीए 0915 मॉड़ल 2006 दसचक्का देखरेख एवं सार–संभाल के लिये सुपुर्द की थी, तब उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे।

34. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि कौनसी तारीख, सन्, महिना में हस्ताक्षर किये थे आज उसे याद नहीं है। उसे प्रदर्श पी–19 पर हस्ताक्षर कौनसे वकील लेकर

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
(राज.)

आये थे उसे याद नहीं है। वकील के साथ कोई था कि नहीं आज उसे याद नहीं है। रामकुमार ने दयाराम के हक के बारे में लिखा था। क्या–क्या अधिकार दिये थे उसे नहीं पता। इसने आगे कथन किया है कि यह उसे नहीं पता प्रदर्श पी–19 दिनांक 24.08.2012 के बाद बैक डेट डालकर फर्जी तैयार किया गया हो। इस गवाह के कथनों से यह स्पष्ट है कि रामकुमार ने दयाराम को उक्त वाहन ट्रक देखरेख एवं सार–संभाल के लिये सुपुर्द किया था, न कि विक्रय किया था।

35. उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक नंबर आरजे 31 जीए 0915 का पंजीकृत स्वामी रामकुमार है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज असल आरसी प्रदर्श पी–20 से होती है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि अपीलार्थी दयाराम उक्त वाहन ट्रक का पंजीकृत स्वामी हो। प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 24.07.2012 को रामकुमार ने उक्त वाहन ट्रक के सार–संभाल हेतु अपीलार्थी दयाराम के पक्ष में निष्पादित की गयी है, परन्तु उक्त वाहन प्रदर्श पी–19 पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपीलार्थी दयाराम के नाम किया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब की जब्ती के समय उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अपीलार्थी दयाराम ही था। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का समुचित तौर पर मूल्यांकन न कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है। फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

36. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त दयाराम की आरोप अन्तर्गत धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में की गयी दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व दण्डादेश को अपास्त करते हुये अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश::

37. परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त **दयाराम पिता फुसाराम उम्र 54 वर्ष निवासी डबली राठान पुलिस थना सदर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)** द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त की आरोप अन्तर्गत **धारा 19/54ए राजस्थान अबाकारी अधिनियम** में की गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है और अपिलार्थी/अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

38. अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437-A दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार दस हज़ार रुपये का मुचलका एवं इतनी ही राशी की जमानत पेश कर तस्दीक करावें कि यदि इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत की जाती है तो वह उच्चतर न्यायालय में उपस्थित होगा।"

39. इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब भेजी जावे।

2/6/26

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

उक्त निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

2/6/26

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)